भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2854

जिसका उत्तर दिनांक 18.07.2019 को दिया जाना है

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जादुगोड़ा के कामगारों की हड़ताल

2854. श्री धीरज प्रसाद साहू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) जादुगोड़ा, झारखण्ड के कामगारों को अभी तक संविदागत वेतन का भुगतान किया जाना बाकी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कामगारों की हड़ताल के कारण 10 जून से 15 जून, 2019 तीन दिनों तक उत्पादन ठप्प रहा था, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, नहीं ।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हाँ । कामगार संघों के बैनर के तहत वर्कमैन वर्ग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने से सभी खानों से अयस्क उत्पादन, सभी संयंत्रों से अयस्क संसाधन और U_3O_8 उत्पादन, दिनांक 10 जून से 15 जून 2019 तक छः दिन के लिए ठप्प रहा था ।

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के कामगारों के संबंध में वेतन संशोधन सेटलमेंट, दिनांक 01.04.2018 से देय है । संघों के साथ कई बार निगोसिएशन किए जाने और उसके बाद सहायक श्रम आयुक्त (सी) और उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के साथ त्रिपक्षीय बैठक किए जाने पर भी, वेतन संशोधन संबंधी मामले का समाधान, संघों की अवैध मांगों के कारण नहीं किया जा सका । त्रिपक्षीय बैठक में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार एक जनमत-संग्रह भी आयोजित किया गया, जिससे भी कामगार सहमति नहीं मिल सकी । इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिकतम संभव वेतन-वृद्धि का प्रस्ताव यूसीआईएल ने रखा, लेकिन संघ सहमत नहीं हुए । जबकि समाधान प्रक्रिया चल ही रही थी, कामगार/संघ, दिनांक 10 जून 2019 से अवैध हड़ताल पर चले गए, बावजूद इसके कि भारत सरकार

...2/-

द्वारा यूसीआईएल को जनोपयोगी सेवा कंपनी घोषित किया जा चुका है । दिनांक 10.06.2019 को लगभग 54 कामगार, 'ए' शिफ्ट में तुरामड़ीह खानों के अंदर चले गए और मुद्दे का समाधान होने तक उन्होंने खान से बाहर आने से मना कर दिया और इस प्रकार खान अधिनियम 1932 की धारा-35 का घोर उल्लंघन किया, जिसके अनुसार, एक दिन में अधिकतम अनुज्ञेय कार्य घंटे 10 घंटे हैं । उपरोक्त सभी कामगारों को, एस.पी. (ग्रामीण), एडीएम (विधि और व्यवस्था), जिला पुलिस और सिविल प्रशासन के सक्रिय सहयोग से, दिनांक 12.06.2019 की 'सी' शिफ्ट में भूमिगत खान से बाहर निकाल लिया गया ।

इसके बाद, दिनांक 15.06.2019 को एक त्रिपक्षीय बैठक की गई, जिसमें संघों, यूसीआईएल प्रबंधन, क्षेत्र के संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्यों, अध्यक्ष, जिला परिषद, एडीएम (विधि और व्यवस्था), एसपी (ग्रामीण), डीएसपी (विधि और व्यवस्था) इंस्पेक्टर/ओआईसी, जादुगोड़ा/सुंदरनगर पुलिस स्टेशन ने भाग लिया । लंबे समय तक निगोसिएशन किए जाने के बाद, संघ, प्रबंधन के प्रस्ताव से सहमत हुए और झारखंड की सभी यूनिटों में, दिनांक 15.06.2019 को 'बी' शिफ्ट से और सामान्य शिफ्ट के उत्तरार्द्ध से तथा तुम्मलापल्ली, कड़प्पा, आंध्र प्रदेश में, दिनांक 16.06.2019 की 'ए' शिफ्ट से प्रचालन पुन: आरंभ करने के लिए हड़ताल को समाप्त कर दिया ।

****